अपील सूचना अधिकार संख्या 83/2021 (GCMS 2021/127)(आईटीआई पोर्टल नं. 212861267957172) कमल मारवाल पुत्र राजाराम वार्ड नं. 08, 3 एसटीआर, नजदीक गुरूद्वारा, नया घड़साना तहसील घड़साना, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 76158–23235) बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कमल मारवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि उसने तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार, घड़साना ने उसे निश्चित समयसीमा में उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए उसने तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

> 1.कार्यालय एलआरसी, राजस्व तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर में कॉरोना आपदा काल लॉकडाऊन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि के उन इंतकालों (कृषि भूमि नामान्तरण) की पूर्णतः प्रमाणित रूप से जानकारी उपलब्ध करावें जिनमें सम्बन्धित पटवार हल्का का अधिभार (चार्ज), अतिरिक्त चार्ज में था अर्थात अतिरिक्त जार्च के चलते दर्ज हुए कृषि–भूमि के इंतकाल (कृषि भूमि नामान्तरण) की प्रमाणित सूचनाएं वांछित रूप से उपलब्ध करावें।
>
> 2.राजस्व तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर के अधीन पटवार हल्का जिनका अधिभार (चार्ज), अतिरिक्त चार्ज में था, उनकी प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3.लॉकडाऊन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि नामान्तरण के संदर्भ में उस आदेश/सर्कुलर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करावें जिनमे अतिरिक्त चार्ज में सम्मिलित पटवार हल्का में कृषि भूमि नामान्तरण करने हेतु आदेशित किया गया है।

4.उपरोक्त समस्त बिन्दुओ के क्रम में एल.आर.सी कार्यालय घड़साना अन्तर्गत राजस्व तहसील घड़साना में पदस्थापित एलआरसी प्रभारी का नाम, पदनाम उपलब्ध करवाने के साथ साथ सम्बन्धित अतिरिक्त पटवार हल्को में नियुक्त गिरदावर (भू—अभिलेख निरीक्षक) के नाम, पदनाम की प्रमाणित सूचनाएं भी उपलब्ध करावें।

तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने अपने पत्र क्रमांक विविध/सू.का.अ./2021/702 दिनांक 28.07.2021 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निम्नानुसार निवदन है कि :

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1	कार्यालय एलआरसी, राजस्व तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर में कॉरोना आपदा काल लॉकडाऊन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि के उन इंतकालों (कृषि भूमि नामान्तरण) की पूर्णतः प्रमाणित [illegible] जानकारी उपलब्ध करा[illegible] जिनमे सम्बन्धि[illegible] अधिभार [illegible] में था अर्थात अतिरिक्त चा[illegible] के चलते दर्ज हुए कृषि—भूमि के इंतकालो (कृषि भूमि नामान्तरण)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) अनुसार किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के मांगा [illegible]या है, जब तक कि वह [illegible] प्राधिकारी के स्त्रोतों को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	की प्रमाणित सूचनाएं वांछित रूप से उपलब्ध करावें।	आप द्वारा चाही गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के अनुसार अत्यंत विस्तृत है। जो कि लोकप्राधिकारी के अनुपात में नही है। एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली है। अतः आपको सूचना नही दी जा सकती।
2	राजस्व तहसील घडसाना ज़िला श्रीगंगानगर के अधीन व पटवार हल्का जिनका अधिभार (चार्ज), अतिरिक्त चार्ज मे था, उनकी प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करावें।	सूचना संलग्न है।
3	लॉकडाऊन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि नामान्तरण के संदर्भ में उस आदेश/सर्कुलर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करावें जिनमे अतिरिक्त चार्ज में सम्मिलित पटवार हल्का में कृषि भूमि नामान्तरण करने हेतु आदेशित किया गया है।	सूचना संलग्न है।
4	उपरोक्त समस्त बिन्दुओ के क्रम में एल.आर.सी कार्यालय घड़साना अन्तर्गत राजस्व तहसील घड़साना में पदस्थापित एलआरसी प्रभारी का नाम, पदनाम उपलब्ध करवाने के साथ साथ सम्बन्धित अतिरिक्त पटवार हल्को में नियुक्त गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) नाम, पदनाम की प्रमाणित सूचनाएं भी उपलब्ध करावें।	एलआरसी प्रभारी श्री राहुल नायब तहसीलदार घड़साना है एवं शेष सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:12 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(दानाराम)
तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), घडसाना द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार बिन्दु संख्या 2 से 4 का जवाब दिया जा चुका है और बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है इसलिए तहसीलदार (राजस्व), घड़साना द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने योग्य हैं**

अतः उक्त विवे[illegible]पील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलद**[illegible] को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। प[illegible]खिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.20[illegible] **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:12 IST
Reason: SelfAttested